भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3353

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लाइसेंस वापस लेना

3353. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की जमाराशियों को कवर नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के कितने लाइसेंस वापस लिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) एनबीएफसी के दिवालिया होने के कारण जनता को कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है; और

(ङ) क्या एनबीएफसी के वसूली एजेंटों द्वारा अपने अनेक कर्जदारों को परेशान किया जाता है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" द्वारा अभिशासित है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (i) के अनुसार डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंकों की जमाराशियों की सुरक्षा करता है। बीमाकृत बैंक डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत बैंक हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक {सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक} और सहकारी बैंक {प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक} शामिल हैं।

(ख): दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, 5728 गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) हैं जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(ग): दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, जमा स्वीकार करने वाले 25 एनबीएफसी आरबीआई के साथ पंजीकृत हैं।

(घ) और (ङ): वसूली एजेंटों द्वारा उधारकर्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के समक्ष रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 05.05.2003 को उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में परिपत्र भी जारी किया है। इन दिशा-निर्देशों में उधारकर्ताओं को शुल्क/प्रभारों आदि के बारे में व्यापक सूचना के संबंध में सूचित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, यह दिशानिर्देश ऋणदाताओं को ऋण का भुगतान प्राप्त होने या ऋण की वसूली होने पर सभी प्रतिभूतियों को जारी करने और ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हैं। इन दिशा-निर्देशों में ऋणों की वसूली के लिए यह निर्धारित किया गया है कि ऋणदाताओं को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए जैसे कि उधारकर्ताओं को देर रात लगातार परेशान करना, ऋणों की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना आदि।

इसके अतिरिक्त, विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किये गए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच उनके पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान की जाती है और किसी भी पाई गई गैर-अनुपालना को विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध विनियमों तथा कानून के अनुसार पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के अलावा सुधार के लिए विनियमित संस्थाओं के समक्ष रखा जाता है।

******